न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 24/2015/टीए

रूपीबाई पत्नि मांगीबाई धाकड़
निवासी खेडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़
2. मांगीलाल पिता चमना धाकड
   निवासी खेडी तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय व आदेश उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
दिनांक 02.06.2015 प्रकरण सं. 91/2014

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्रीमती वन्दना चौखडा – राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक– 01.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा खेडी तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी नम्बर 262 मी रकबा 0.08 है0 भूमि अपीलान्ट के खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जो अपीलान्ट का पति होकर उक्त आराजीयात मे एक ढाबा (होटल) बिना किसी रूपान्तरण कराये व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19/08/2014 के अनुसार कृषि भूमि के बजाय अकृषि उपयोग पाया जाने से कार्यवाही की जाना आवश्यक है। इस आशय का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय मे दिनांक 21/11/2014 को प्रस्तुत किया गया व पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 25/08/2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के सम्मन नोटिस जारी किये गये जो

प्रोपर तामील नही हुए थे व उक्त पत्रावली मे आगामी तारीख पेशी दिनांक 25/05/2015 नियत थी, उक्त दिनांक को उक्त पत्रावली मे किसी प्रकार की प्रभावी कार्यवाही नही की गयी व प्रकरण दिनांक 02/06/2015 को लोक अदालत मे नियत जाकर लोक अदालत का नोटिस अपीलान्ट रूपीबाई का जारी किया गया जिस अपीलान्ट रूपीबाई की पालना मे विचारण न्यायालय मे उपस्थित हुई व अपनी उपस्थिति पत्रवली मे दर्ज करवायी गयी। विचारण न्यायालय ने राजीनामा मानते हुए प्रकरण लोक अदालत के तहत राजीनामे से निर्णित कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय एवं आदेश पारित कर दिया जो अपने आप मे अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है।

2. यह कि आर एस डब्ल्यू 2008 पेज 975 मे लोक अदालत के लिए सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि लोक अदालत के तहत उसी प्रकरण का निस्तारण किया जा सकता है जिसमे दोनो पक्ष उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत करते है एवं राजीनामा लिखित एवं हस्ताक्षर युक्त राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक करवाया जाता है तो ही प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत मे किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय व आदेश दिनांक 02/06/2015 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने बयान कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णित किया गया है जबकि वास्तवितकता यह है कि मौके पर किसी प्रकार का होटल (ढाबा) निर्मित नही किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

4. दौराने बहस राजकीय अभिभाषक द्वारा बयान किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावे।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित किया गया है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूॅ

द्वारा प्रकरण संख्या 91/2014 मे पारित निर्णय दिनांक 02/06/2015 को अपास्त करते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़